कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
204/16	26.08.2016	11.01.2019

1 सुभाष .
2 जुगला पुत्रान मोहन उर्फ मोहरसिंह जातियान खाती निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज.

वादीगण

बनाम

1 विरेन्द्र सिंह
2 अभयसिंह पुत्रान अमरसिंह जातियान अहीर निवासीयान जालावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज.
3 तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज.।

प्रतिवादीगण

दावा –विरासत इन्तकाल कैन्सिलैसन एवं रहन फक किये जाने।

उपस्थिति–1 श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी वकील– वादीगण
2 श्री महेश कुमार यादव वकील – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 11.01.2019

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। सुना गया। वादीगण के वाद का सारतः रहा की आराजी ख0 नं0 902/0.20, 903/0.20, 904/0.21 हैक0 वाके ग्राम जालावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0 मे स्थित होकर विवादित आराजी है। उक्त विवादित आराजी मिन वादीगण की राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी की आराजी है जिसमे वादीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा अपने हिस्से को काश्त करते रहे थे। मिनवादीगण को घरेलू खर्च की आवश्यकता होने पर अमरसिंह पुत्र भीवा जाति अहीर जालावास को रहन रख दी थी तथा अमरसिह फौत हो गया एवं रहन का अंकन जमाबन्दी मे अंकित हो रहा है। फौत होने के बाद अमरसिंह के विधिक वारिस प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारीयो से साज बाज होकर मिनवादी को बेजा नुकसान पहुचाने की नियत से आराजी की विरासत इंतकाल नं0 805 दिनांक 22.09.2008 को अपने नाम अपने नाम दर्ज करा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

लिया तथा इंतकाल के जरिये रिकार्ड मे संवत् 2071–74 मे प्रतिवादीगण का नाम साकीनदेह खातेदार दर्ज कर दिया। जिस अंकन को हजफ कराने के मिनवादीगण अधिकारी है। जिसकी जानकारी केडिट कार्ड बनवाने हेतु रिकार्ड की नकल ली तो हल्का पटवारी ने बताया की उक्त आराजी मे तुम्हारे 1/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण का नाम खातेदार दर्ज जमाबन्दी हो रहा है। उसके बाद नकलात हासिल की व उसके बाद तहसीलदार मुण्डावर को उक्त अंकन को दुरूस्त कराने का निवेदन किया लेकिन दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया इसलिए अविलम्ब ही वाद प्रस्तुत करना लाजिम आया है। दिनांक 03.08.2016 को नकल लेने से तथा तहीसलदार मुण्डावर ने दिनांक 22.08.2016 को दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया बस यही तारीख दावा हेतु बिनायदावी वो बिनायमुखास्मत पैदा होकर अंदरमियाद पेश है का निवेदन करते हुए वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे की डिक्री इंतकाल कैन्सिलेशन इस प्रकार फरमायी जावे की उपरोक्त विवादित आराजीयात मे 1/3 हिस्सा मिनवादीगण के नाम अंकन है जिसे प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने विरासत रहन मे इन्तकाल दर्ज कराते समय इंतकाल नं0 805 मे अपने नाम उक्त आराजी को सा0 देह खातेदार दर्ज करा ली उक्त अंकन रहन खातेदारी को हजफ किया जाकर मिनवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जावे की वे आराजी को कही खुर्द बुर्द बेचान आदि नही करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लैम पेश किया। नकल दिलाई गयी। वादीगण के वादपत्र के जिम्मनो को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा एवं काउन्टर क्लैम का सारतः रहा की उक्त आराजी वादीगण के दादा ने भीवा पुत्र बेगराज को संवत् 2009 मे बाकब्जा रहन रख दी थी। जिस दिन रहन रखी उस दिन से आज तक पहले हमारे दादा फिर पिता ओर वर्तमान मे हम प्रतिवादीगण काबिज है तथा काश्त कर रहे है। रहन के बाद से वादीगण व वादीगण के पूर्वज कभी काबिज नही रहे ना ही काश्त की। मिनप्रतिवादीगण के पिता अमरसिंह पुत्र भीवा के फौत होने पर हम प्रतिवादीगण का विरासत इंतकाल सं0 805 सही व दुरूस्त नियमानुसार दर्ज कराया है तथा रहन इन्द्राज बदस्तूर जारी है। वक्त रहन से अर्सा दराज से काबिज होने के कारण मिनप्रतिवादीगण कानूनन विधिक खातेदार हो गये है इसलिए वादीगण किसी भी प्रकार से मिनप्रतिवादीगण का नाम हजफ करा कर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी नही है। जब विवादित आराजी हम प्रतिवादीगण के दादा भीवा के रहन रखी थी जो राज0 काश्त0 अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व से रहन रखी हुई है और राज0 काश्त0 अधिनियम लागू हुआ उस समय जो काश्तकार कब्जेकाश्त था स्वतः ही खातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकारी हो गया

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

था लेकिन राजस्व कर्मचारीयो की गलती से वादीगण का आराजी मे नाम चला आ रहा है चुंकि उक्त आराजी मोहन पुत्र किशना ने अपनी मर्जी से बिल एवज 210 रू मे पूर्वजो के पास रहन रख दी थी। रहननामा उपपंजीयक, मुण्डावर के यहा पंजीबद्व व तस्दीक किया गया था तथा रहन के आधार पर इन्तकाल सं0 287 हम प्रतिवादीगण के दादा भीवा पुत्र बेगराज के नाम दर्ज होकर स्वीकार किया गया था। उक्त इंतकाल के खारिज कराने व अपने नाम रिकार्ड मे दर्ज कराने बाबत वादीगण के पूर्वजों द्वारा व वादीगण द्वारा कोई वाद न्यायालय हाजा मे संवत् 2009 से आज तक दर्ज नही किया ना ही वादीगण के पूर्वजो द्वारा उक्त रहन की राशि प्रतिवादीगण के पूर्वजो को या हम प्रतिवादीगण को नही लौटाई गयी थी तथा रहन के बाद राज0 काश्त0 अधिनियम आ गया, जिस वक्त जो भी काश्तकार आराजी पर काबिज काश्त था उसको स्वतः ही खातेदारी अधिकारी प्रदान कर दिये गये थे। वादीगण को कथित दिनांक को कोई बिनाय दावी व बिनायमुखास्मत पैदा नही होती है। वादीगण का वाद काबिल खारिज है का निवेदन करते हुए अपना **काउन्टर क्लैम** पेश किया जो निम्नानुसार है–

1 हाल आराजी ख0 नं0 902/0.20, 903/0.20, 904/0.21 हैक0 का 1/3 भाग वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर मे स्थित होकर इस काउन्टर क्लैम मे विवादित आराजी कहलायेगी।

2 विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी होकर वादीगण के पूर्वज द्वारा मिनप्रतिवादीगण के पूर्वज के पास रहन रख दी थी तथा रहननामा उपंजीयक, मुण्डावर द्वारा तस्दीक किया गया है तथा रहन के आधार मिनप्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम रहन का इंतकाल सं0 287 दर्ज व मंजूर हो गया था।

3 वादीगण के पूर्वज ने आराजी मिनप्रतिवादीगण के पूर्वज के पास मय कब्जा संवत् 2009 से पहले रहन रखी थी तथा वक्त रहन से प्रतिवादीगण का पूर्वज आराजी पर काबिज रहा है तथा उसी समय राज0 काश्त0 अधि0 लागू हो गया तथा राज0 काश्त0 अधि0 के तहत जो काश्तकार आराजी पर काबिज काश्त था उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये लेकिन प्रतिवादीगण के पूर्वज अनपढ होने के कारण उन्हे खातेदारी अधिकारी नही मिल पाये और वादीगण के पूर्वज के नाम का अंकन दर्ज चला आ रहा है जबकि मिनप्रतिवादीगण वक्त रहन व राज0 काश्त0 अधि0 लागू होने के पूर्व से आराजी पर काबिज रहे है एवं मिनप्रतिवादीगण के नाम विरास्त इंतकाल सं0 805 दर्ज और मंजूर हो गया। इस प्रकार मिनप्रतिवादीगण विवादित आराजी पर पूर्वजो के समय से आज तक बदस्तूर काबिज काश्त रहने के कारण मिनप्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो गये है तथा मिनप्रतिवादीगण आराजी मे वादीगण व वादीगण के पूर्वज के नाम के अंकन को हजफ करा कर रहननामा व कब्जा के आधार पर विवादित आराजी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है इसलिए काउन्टर क्लैम पेश करना लाजिमी आया है।

4 मिनप्रतिवादीगण अपने पूर्वजो से प्राप्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है इसलिए राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त नही की लेकिन वादीगण द्वारा दावा पेश करने पर राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त कर दिनांक 20.01.2017 को वादीगण से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा तो साफ मना कर दिया बस यही काउन्टर क्लैम हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अंदर अवधि पेश है का निवेदन करते हुए जवाब दावा मय काउन्टर क्लैम पेश कर निवेदन रहा की वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर मिनप्रतिवादीगण का काउन्टर क्लैम इस प्रकार डिकी फरमाया जावे की उपरोक्त विवादित आराजी का 1/3 भाग का रहननामा व कब्जा के आधार पर मिनप्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज वादीगण व वादीगण के पूर्वज का नाम हजफ कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे व वादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे मिनप्रतिवादीगण के काश्त कार्य मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे का निवेदन रहा।

जिस पर वादीगण का जवाबउलजवाब (जवाब काउन्टर क्लैम) पेश किया गया। नकल दिलाई गयी। काउन्टर क्लैम के जिम्मनो को अस्वीकार करते हुए जवाब काउन्टर क्लैम का सारतः रहा की आराजी काउन्टर क्लैम मे विवादित नही है एवं मिनवादीगण के पूर्वज कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी रही है। मिनवादीगण के पूर्वज ने कभी भी प्रतिवादीगण के पूर्वजो को रहन नही रखी, ना ही रहननामा उपपंजीयक द्वारा तस्दीक हुआ ना ही प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम रहन का इन्तकाल सं0 287 दर्ज व मंजूर हुआ। समस्त कहानी मनगढंत तैयार कर झूठे तथ्यों के आधार पर मिनवादीगण को परेशान करने की नियत से काउन्टर क्लैम प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज होने योग्य है। मिनवादीगण के पूर्वजो ने प्रतिवादीगण के पूर्वजो को कभी भी संवत् 2009 से पहले आराजी रहन नही रखी। रिकार्ड मे मिनवादीगण के पूर्वजो के नाम का अंकन चला आ रहा है, वादीगण खातेदार काश्तकार है जबकि प्रतिवादीगण का आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार है ना कभी रहा है। प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी नही है। मौके पर आज भी मिनवादीगण आराजी पर बिना किसी रोकटोक के काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण मिनवादीगण के पूर्वजो से प्राप्त आराजी पर काबिज काश्त नही है ना ही वादीगण के पूर्वजो के नाम अंकन रिकार्ड को हजफ करा कर रिकार्ड दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण को कोई बिनायदावी वो बिनायमुखास्मत पैदा नही होती है निवेदन करते हुए प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लैम को मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन कर विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे का निवेदन रहा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

प्रकरण मे निम्नानुसार तनकीयात कायम किए गए–

1 आया वाद मे विवादित आ0 ख0 नं0 902/0.20, 903/0.20, 904/0.21 हैक0 का 1/3 भाग ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर मे स्थित को वादी रहन मुक्त घोपित करने का अधिकारी है।

–जिम्मेवादी

2 आया वाद मे विवादित आराजी को वादी के हिस्से का तहसीलदार मुण्डावर द्वारा वादी को दाखिल कराये जाने का अधिकारी है।

–जिम्मेवादी

3 आया वाद मे विवादित आराजी को रहननामे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

–जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद मे मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र जुगलकिशोर पी0 डब्ल्यू0–1, राधेश्याम पी0 डब्ल्यू0–2, सुरेश पी0 डब्ल्यू0–3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2033, संवत् 1978, संवत् 1990, संवत् 1999, संवत् 1997, संवत् 2001 किता–2, संवत् 2013, संवत् 2018, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 एवं नकल जमाबन्दी सेटलमेंट पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा एवं काउन्टर क्लैम के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र विरेन्द्रसिंह डी0 डब्ल्यू0–1, राजेन्द्र डी0 डब्ल्यू0–2, हुक्मसिंह डी0 डब्ल्यू0–3 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल खसरा गिरादावरी प्रदर्श संवत् 2010–13 प्रदर्श डी–1, नकल खसरा गिरादवरी संवत् 2014–17 प्रदर्श डी–2, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2019–22 प्रदर्श डी–3, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2023–26 प्रदर्श डी–4, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2027–30 प्रदर्श डी–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2005 प्रदर्श डी–6, नकल इंतकाल सं0 287 प्रदर्श डी–7, नकल जमाबन्दी संवत् 2018 प्रदर्श डी–8, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 प्रदर्श डी–9, नकल जमावन्दी संवत् 2013 प्रदर्श डी–10, नकल जमाबन्दी संवत् 2022 प्रदर्श डी–11, 12, नकल जमाबन्दी संवत् 2029 प्रदर्श डी–13 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील उभयपक्षकारान ने प्रकरण मे लिखित बहस प्रस्तुत कि है। मुताबिक लिखित बहस वादपत्र के जिम्मनो को दोहराते हुए वकील वादी का निवेदन रहा कि विवादित आराजी वादी की पैतृक आराजी रही है तथा साबिक खसरा नं0 448 के 1/3 भाग का राजस्व रिकार्ड वादी के दादा के नाम दर्ज रहा है जो फौतगी पर वादी के पिता के नाम दर्ज रही है। इस प्रकार वादी का पिता व दादा संवत् 2009 से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज रही है। घरेलू खर्चा हेतु वादी के पिता ने साबिक खसरा नं0 648 के 1/3 भाग को प्रतिवादी के पिता भीवा पुत्र बेगराज को रहन रख दी थी। रहन का इंद्राज रिकार्ड मे दर्ज हो गया तथा उसके बाद वादी के पिता ने प्रतिवादीगण के पिता को रहन की राशि अदा कर दी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

थी तथा कब्जा ले लिया था लेकिन रिकार्ड रहन का इंद्राज को हजफ नही कराया तथा प्रतिवादीगण के पिता के नाम ही रहन का अंकन चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण व प्रतिवादी के पूर्वज अर्सा दराज से आराजी से गैरवास्ता गैरकाबिज है जबकि कानूनन रहन का अंकन स्वतः ही 20 वर्ष बाद निरस्त हो जाता है। प्रतिवादीगण ने रिकार्ड मे अपने पिता के नाम दर्ज रहन के अंकन का बेजा फायदा उठा कर भीवा पुत्र बेगराज का रहन का इंतकाल संख्या 805 संवत् 2067 लगायत 2070 की जमाबन्दी मे अपने आप को खातेदार दर्ज करा लिया जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है एवं वादी के हक हकूको के विरूद् बातिल व बेअसर है जिस इंतकाल संख्या 805 को बातिल व बेअसर करार दिया जाकर राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज के नाम रहन के अंकन को हजफ कर हम वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे प्रदर्श 1 लगायत 11 पेश किये है तथा प्रतिवादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2010 प्रदर्श डी–1 व खसरा गिरदावरी संवत् 2014 पेश कि है जिनमे बयकाश्त महादेवा दर्ज है एवं इंतकाल संख्या 287 रहन पेश किया है जो रहननामा रजिस्टर्ड नही है, बिना रजिस्टर्ड रहननामा कानूनन वैध नही है का निवेदन करते हुए अन्य अभिकथनो के साथ साथ निवेदन रहा कि प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम रहननामा रजिस्टर्ड नही था तथा अनरजिस्टर्ड रहननामा के आधार पर प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है अंकित करते हुए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लैम किसी भी प्रकार से साबित नही है अतः काउन्टर क्लैम खारिज फरमाया जाकर वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे एवं वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा रिकार्ड मे प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजो के नाम दर्ज रहन के अंकन को हजफ कर एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज इंतकाल संख्या 805 को बातिल व बेअसर करार दिया जाकर राजस्व रिकार्ड दूरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

ठीक इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने वादीगण के वादपत्र के जिम्मनो को अस्वीकार करते हुए अपने जवाबदावे एवं अपने काउन्टर क्लैम को स्वीकार किये जाने के बाबत अपनी लिखित बहस मे अभिकथन किया कि उक्त विवादित आराजी वादीगण के पिता मोहन पुत्र किशना के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है तथा वादी के पिता मोहन ने अपनी उक्त साबिक ख0 नं0 648 का 1/3 भाग प्रतिवादीगण के पूर्वज के पास संवत् 2009 मे 210 रू मे रहनमय कब्जा रखी थी। बाद रहन से आज तक विवादित आराजी पर हम प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। मौके पर हमारा वास्तविक कब्जा है जिस कारण उक्त वाद मे हम प्रतिवादीगण द्वारा जवाब के साथ अपना काउन्टर क्लैम पेश किया है। संवत् 2009 मे बाकब्जा रहन रख दिये जाने से आज तक खुल्लम खुल्ला हम प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा वादी व वादी के पूर्वज द्वारा कभी भी रहन की रकम अदा नही की है ना ही आराजी पर कब्जा प्राप्त किया है। राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

काश्त0 अधि0 के लागू होने के पूर्व व लागू होने के दिन से विवादित आराजी पर हम प्रतिवादीगण के पूर्वज का कब्जा रहा है। ऐसी स्थिति मे कानूनन स्वतः ही हम प्रतिवादीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित कर देना चाहिए था तथा राजस्व रिकार्ड से वादीगण का नाम हजफ कर देना चाहिए था लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने सहवन से ऐसा नही किया। विवादित आराजी साबिक खसरा नं0 648 के 1/3 भाग रहन का इंतकाल सं0 287 दर्ज व मंजूर हो चुका है। जिसके मुताबिक हम प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम का अंकन हो चुका है। वादी व वादी गवाहन ने आराजी को अपने बयान मे रहन रखे 50 साल होना दर्ज किया है। तथा कहा कि अमरसिंह ताउम्र जोतता रहा तथा सुभाष का हिस्सा विरेन्द्र जोत रहा है जिससे भी साफ है कि प्रतिवादीगण का कब्जा है। खसरा गिरदावरी भी हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। हम प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम के समर्थन मे जो दस्तावेजात प्रदर्श डी–1 लगायत 13 पेश किये है उक्त दस्तावेजात से भी हम प्रतिवादीगण का कब्जा आयद वो साबित है एव हम प्रतिवादीगण के बयान व गवाहन के बयान से भी हम प्रतिवादीगण का कब्जा साबित है का निवेदन करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लैम डिक्री किया जाकर उक्त विवादित आराजी का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड मे वादी व वादी के पूर्वज का नाम हजफ कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत पृथक पृथक लिखित बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता अवलोकन किया जाने पर तनकीवार विवेचन निम्नानुसार रहा –

1 तनकी सं0 1– आया वाद मे विवादित आ0 ख0 नं0 902/0.20, 903/0.20, 904/0.21 हैक0 का 1/3 भाग ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर मे स्थित को वादी रहन मुक्त घोषित करने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे रहा हैं। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे जो रिकार्डेड साक्ष्य प्रदर्श–1 लगायत 11 प्रस्तुत किये है जिनमे केवल मात्र नकल जमाबन्दीयात संवत् 1978 से 2016 तक एवं मिलान क्षेत्रफल तथा नकल जमाबन्दी सेटलमेंट प्रस्तुत किए है। जिनमे भी नकलजमाबन्दी 2013 प्रदर्श 7 के कालम नं0 5 मे साबिक खसरा नं0 648 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के बाबत अन्य सहखातेदारान के साथ साथ मोहन पुत्र किशना खाती 1/3 मोरूसी राहिन भीवा पुत्र बेगराज अहीर साकिन देह का अंकन है जो लगातार संवत् 2029 तक बदस्तूर अंकित है तथा प्रस्तुत मुताबिक नकल मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं0 साबिक खसरा नं0 से पैमूद होना पाया जाता है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्डेड साक्ष्य प्रदर्श डी–1 लगा0 डी–13 अनुसार नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2010 लगा0 13 के कालम नं0 6 मे साबिक ख0 नं0 648 के बाबत महादेवा अंकित है साथ ही कालम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

नं0 32 भीवा पुत्र बेगराज अहीर साकिन देह गैरमोरूसी 15 बिस्वा बाकी बदस्तूर का अंकन है, ठीक इसी प्रकार नकल ख0 गिरदावरी संवत् 2014 मे भी मोहन पुत्र किशना खाती 1/3 मोरूसी राहिन भीवा पुत्र बेगराज अहीर साकिन देह मुरतहन बकाश्त महादेवा 2/3 हिस्सा का अंकन है, जो लगातार संवत् 2027–30 तक अंकन स्पष्ट साबित है। ठीक इसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नकल इंतकाल सं0 287 मे भी मोहन पुत्र किशना खाती राहिन भीवा पुत्र बेगराज अहीर के नाम का अंकन 210 रू के बाबत का होकर जमीन का कब्जा दे दिये जाने का अंकन है जो प्रस्तुत समस्त नकल जमाबन्दीयात संवत् 2013 लगा0 2029 तक एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नकल हाल जमाबन्दी संवत 2071–74 तक अंकन स्पष्टरूप से साबित है। ठीक इसी प्रकार मौखिक साक्ष्य उभयपक्षकारान से भी वक्त रहन से आज तक विवादित आराजी के बाबत का कब्जा प्रतिवादीगण का साबित है इस प्रकार से उक्त तनकी को साबित करने मे वादीगण के असफल रहने की स्थिति मे यह न्यायालय इस तनकी को बरखिलाफ वादीगण होकर बहक प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

2 तनकी नं0 2– आया वाद मे विवादित आराजी को वादी के हिस्से का तहसीलदार मुण्डावर द्वारा वादी को दाखिल कराये जाने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार भी जिम्मेवादीगण रहा है। जब तनकी सं0 1 ही बरखिलाफ वादीगण होकर बहक प्रतिवादीगण स्पष्टरूप से साबित हो चुकी है तो यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ वादीगण पाया जाकर बयहक प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

3 तनकी सं0 3– आया वाद मे विवादित आराजी को रहननामे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेप्रतिवादीगण रहा है। जब तनकी सं0 1 व 2 बरखिलाफ वादीगण पायी जाकर बहक प्रतिवादीगण स्पष्टरूप से साबित हो चुकी है तो इस तनकी को भी यह न्यायालय बरखिलाफ वादीगण पाया जाकर बहक प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादीगण के वाद को अस्वीकार योग्य पाता है एवं प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा के साथ प्रस्तुत काउन्टर क्लैम को स्वीकार को स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी खसरा नंबर 902/0.20, 903/0.20, 904/0.21 हैक्टेयर के 1/3 भाग वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के बाबत का वादीगण का वाद खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लैम स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लैम डिक्री किया जाकर उक्त विवादित आराजीयात के बाबत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज वादीगण व वादीगण के पूर्वज का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रतिवादीगण के कुल कार्य काश्तकारी मे किसी भी प्रकार से मजाहमत पैदा ना करे, पाबन्द रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाय गया।

(साधूराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी:–साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
204/16	26.08.2016	11.01.2019

1 सुभाष .
2 जुगला पुत्रान मोहन उर्फ मोहरसिंह जातियान खाती निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज. वादीगण

बनाम

1 विरेन्द्र सिंह
2 अभयसिंह पुत्रान अमरसिंह जातियान अहीर निवासीयान जालावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज.
3 तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज.।

प्रतिवादीगण

दावा –विरासत इन्तकाल कैन्सिलैसन एवं रहन फक किये जाने।

वादीगण की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री महेश कुमार यादव की उपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख 11.01.2019 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पे श होने पर, आदे श किया जाता है और डि क्री काउन्टर क्लैम दी जाती है कि–

हाल आराजी खसरा नंबर 902/0.20, 903/0.20, 904/0.21 हैक्टेयर के 1/3 भाग वाके ग्राम जालावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के बाबत का वादीगण का वाद खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लैम स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लैम डिक्री किया जाकर उक्त विवादित आराजीयात के बाबत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज वादीगण व वादीगण के पूर्वज का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रतिवादीगण के कुल कार्य काश्तकारी मे किसी भी प्रकार से मजाहमत पैदा ना करे, पाबन्द रहे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.01.2019 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(साधुराम जाट) 11/1/19
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

Scanned by CamScanner